न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र सं0 100/2008

चन्द्र सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह जाति राजपूत उम्र 65 साल निवासी ग्राम शिखरानी तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत सिंह पुत्र श्री आनन्द बिहारी सिंह (फोत)
   1/1. श्रीमती नारायण कंवर पत्नी स्व0 गणपत सिंह
   1/2. मु. पुष्पाकंवर पुत्री स्व0 गणपत सिंह
   1/3. मु. उषा कंवर पुत्री स्व0 गणपत सिंह
   1/4. मु. निर्मला कंवर पुत्री स्व0 गणपत सिंह
   1/5. योगेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
   1/6. युवराज सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम गुलगांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय बिजयनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार बिजयनगर। —— अप्रार्थीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :– दिनांक 20.06.2016

वादी ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा शिखरानी भू. अ. नि. क्षेत्र बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित विवादित अराजी हाल खसरा न0 1382 रकबा 0.6637, 1381 रकबा 0.5787 व 1384 रकबा 0.6961 कुल किता 3 रकबा 1.93385 हेक्टेयर भूमि ग्राम शिखरानी की जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के खसरा न0 533 व 534 के बने है जो वादी की खुदकाश्त से तन्हा खातेदारी की भूमियां है। लेकिन भूसंशोधन में प्रतिवादी सं0 1 व कर्मचारियों की मिलीभगत से इन्हें प्रतिवादी सं0 1 के नाम लगा दी है जिनमें वादी पुनः खातेदार होने की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को विवादित अराजी हाल खसरा न0 1382, 1381 व 1384 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा यथानुसार राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम लगाई जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं उन्हें हस्तांतरण आदि से निषेध किया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प शिखरानी पर पेश हुई। वादी असालतन वकालतन हाजिर। वकील प्रतिवादी उपस्थित। उसने अवगत कराया कि प्रतिवादी सं0 1 गणपत सिंह का दिनांक 25.05.2013 को निधन हो गया है। उनके वारिसान की ओर से पावर एवं प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी पेश कर वारिसान को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा स्व0 गणपत सिंह के वारिसान को प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/6 कायम मुकाम किया जाता है। एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद स्वीकार है अतः विवादित भूमियां प्रतिवादी के स्थान पर वादी के नाम लगा दी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

मैंने उभयपक्षान को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा न0 533 के हाल खसरा न0 1383 रकबा 01–18–00 व 1386 रकबा 12 बिस्वा बने हैं जिसके लिए वादी की कोई दावेदारी नहीं है। साबिक खसरा न0 534 से खसरा न0 1383 रकबा 01–13–10 व 1382 रकबा 2 बिस्वा व 1384 मि. रकबा 02–13–00 तथा 1381 मि. रकबा 05 बिस्वा बने हैं तथा

साबिक खसरा न0 535 रकबा 3 बीघा से हाल न0 1384 मि. रकबा 01–13–00 बने हैं तथा खसरा न0 538 से रकबा 09–07–10 से खसरा न0 1381 मि. रकबा 01–14–00 बने हैं। चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के खाता सं. 132 में साबिक खसरा न0 533, 534 व 535 वादी की खातेदारी में दर्ज हैं। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/6 ने वाद वादी के पक्ष में डिक्री कर दिये जाने मे लिखित में सहमति जता दी है अतः उभयपक्षान की सहमति पर वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।

वादी को मौजा शिखरानी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 1381, 1382 व 1384 में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख में इन अराजियात में वादी का नाम लगाने के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित अराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी आदि से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम शिखरानी पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर – मसूदा (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.01.29 12:54:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: